अध्याय 7

निष्कर्ष

अध्याय 7

7.1 निष्कर्ष

7.1.1 उत्पादन संयंत्रों का संचालन एवं रखरखाव

कंपनी का उत्पादन 2017-18 में 10,567.83 मिलियन यूनिट से घटकर 2020-21 में 5,466.81 मिलियन यूनिट हो गया, जो हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मानक उत्पादन से काफी कम है और 2017-21 के दौरान यह कमी 42.61 से 69.24 प्रतिशत के मध्य थी। कम उत्पादन का मुख्य कारण थर्मल पावर स्टेशनों की उच्च परिवर्तनीय लागत थी, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र बंद हो गए।

कंपनी की सभी यूनिटों के संबंध में विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण फोर्स्ड कटौती, कैपिटल ओवरहालिंग से संबंधित कार्यों के निष्पादन में खराब योजना और उच्च परिवर्तनीय लागत के कारण संयंत्रों के बंद होने के कारण प्लांट लोड फैक्टर में काफी कमी आई। मानक प्लांट लोड फैक्टर की प्राप्ति न होने के कारण कंपनी हरियाणा की वितरण कंपनियों से 2016-21 के दौरान ₹ 390.94 करोड़ की स्थायी लागत वसूल नहीं कर सकी। कंपनी ने मानक प्लांट लोड फैक्टर की प्राप्ति न होने के कारण 2016-21 के दौरान 49,559.73 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन न होने से ₹ 15,576.80 करोड़ का संभावित राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

मेरिट ऑर्डर के अनुसार, कंपनी के संयंत्र 33 विद्युत संयंत्रों, जिनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा मेरिट ऑर्डर तैयार किया जाता है, में से महंगे संयंत्रों में से एक थे। 2016-17 से 2020-21 के दौरान मेरिट ऑर्डर में उनकी रैंक पहली और 13वी के मध्य थी। इस प्रकार, मेरिट ऑर्डर में थर्मल प्लांटों की स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण कंपनी ने 38,862.43 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन न करके ₹ 13,449.61 करोड़ का संभावित राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया। इसके अलावा, कोयले की उच्च परिवहन लागत के कारण कंपनी की इकाइयां परिवर्तनीय लागत के मामले में पिटहेड संयंत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकीं।

राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-II का हाई इंटरमीडिएट प्रेशर रोटर अनियमित लोडिंग पैटर्न, बार-बार स्टार्ट और स्टॉप संचालन के कारण क्षतिग्रस्त (सितंबर 2020) हो गया। तथापि, कंपनी ने 12.24 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के उत्पादन के नुकसान के अलावा मरम्मत लागत पर लघु राशि और ₹ 0.97 करोड़ प्रतिदिन की स्थायी लागत के नुकसान के विरूद्ध उच्च परिवहन लागत को देखते हुए या तो मरम्मत के लिए जाने या एक नया रोटर खरीदने के लिए कोई लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया है। हाई इंटरमीडिएट प्रेशर रोटर जनवरी 2022 के दौरान प्राप्त किया गया था, लेकिन संबद्ध पुर्जों की प्राप्ति न होने के कारण यूनिट को चालू नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों से जबरन बंद अवधि के लिए संभावित राजस्व की हानि के अलावा ₹ 396.77 करोड़ की स्थायी लागत की वसूली नहीं हुई।

गैर-विनिमेय ब्लेडों की स्वीकृति और मशीनों के ओवरहालिंग कार्य को पूरा करने में देरी के कारण कंपनी को पश्चिमी यमुना नहर जलविद्युत परियोजना के संबंध में ₹ 30.73 करोड़ मूल्य की हरित ऊर्जा के 63.80 मिलियन यूनिट का उत्पादन नुकसान उठाना पड़ा है। कम उत्पादन के कारण, वितरण कंपनियों को अन्य स्रोतों से 63.80 मिलियन यूनिट विद्युत खरीदनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप राज्य के उपभोक्ताओं पर ₹ 30.73 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

7.1.2 ईंधन और वस्तुसूची प्रबंधन

कंपनी के तीनों विद्युत संयंत्रों का कोयला खपत पैटर्न 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (यूनिट-II) को छोड़कर अपनी इकाइयों के संबंध में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित कोयले के मानदंडों के भीतर था।

मात्रा और गुणवत्ता के दावों में कोयला कंपनियों की कम आपूर्ति के लिए मुआवजा, नमूनारहित रेकों पर गुणवत्ता के दावे और बेकार माल ढुलाई से संबंधित मुआवजे शामिल हैं। 2016-21 के दौरान मात्रा दावों के कारण ₹ 421.74 करोड़ के लिए दर्ज किए गए कुल दावों में से कंपनी 2020-21 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ 21.68 करोड़ (केवल 5.14 प्रतिशत) के दावों का ही समाधान कर सकी। 31 मार्च 2021 तक कंपनी द्वारा कोयला आपूर्ति कंपनियों के साथ ₹ 494.32 करोड़ के मात्रा दावे और ₹ 270.50 करोड़ के गुणवत्ता दावे लंबित थे। दावों के निपटान में देरी के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

दिसंबर 2015 से मार्च 2021 के दौरान विपथित किए गए रेकों के कारण रेलवे से रिफंड के लिए ₹ 8.43 करोड़ का अंतरीय भाड़ा बकाया था, जिसमें से रेलवे ने ₹ एक करोड़ का भुगतान किया। सितंबर 2021 तक भारतीय रेलवे से ₹ 7.43 करोड़ की वसूली की जानी थी। 33 मामलों में ₹ 0.78 करोड़ के दावों को रेलवे द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इन मामलों को निर्धारित समय की समाप्ति के बाद प्राथमिकता दी गई थी और समय वर्जित कर दिया गया था।

संचालन एवं रखरखाव पुर्जों में शामिल कार्यशील पूंजी कंपनी के तीनों संयंत्रों में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्धारित मानदंडों से अधिक थी और इसलिए कंपनी टैरिफ के माध्यम से संचालन एवं रखरखाव पुर्जों में शामिल अतिरिक्त कार्यशील पूंजी पर ₹ 105.31 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं कर सकी।

कंपनी के तीन संयंत्रों (दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन) द्वारा आवश्यकता की तारीख से खरीद आदेश देने में लिया गया औसत समय सामग्री की खरीद के लिए 223 और 328 दिनों के मध्य था। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को यह सामग्री इन संयंत्रों में उनकी आवश्यकताओं के बाद से 412 और 682 दिनों के मध्य के दिनों के बाद प्राप्त हुई। कंपनी ने अपने कार्य और खरीद विनियम, 2015 में सामग्री की खरीद के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है।

7.1.3 वित्तीय प्रबंधन

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग मानदंडों के विरूद्ध उच्च प्लांट लोड फैक्टर की प्राप्ति के कारण कंपनी ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान ₹ 26.46 करोड़ की अतिरिक्त स्थायी लागत की वसूली की, जो हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेशों का उल्लंघन था।

सभी थर्मल संयंत्रों में दैनिक कोयला स्टॉक का वास्तविक औसत स्तर 2016-21 की अवधि के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक स्तर से कम रहा। परिणामस्वरूप, कंपनी ने टैरिफ के माध्यम से वितरण कंपनियों से 2016-17 और 2017-18 के दौरान कार्यशील पूंजी पर ₹ 107.23 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का दावा किया और वसूल किया जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

बिक्री प्राप्तियों में शामिल वास्तविक औसत कार्यशील पूंजी वर्ष 2016-18 की अवधि के दौरान उत्पादन के निम्न स्तर के कारण मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकता से ₹ 415.39 करोड़ कम थी। इस प्रकार, कंपनी ने वितरण कंपनियों से प्राप्तियों के कारण कार्यशील पूंजी पर ₹ 43.82 करोड़ के अधिक ब्याज का दावा किया और उसे वसूल किया।

कंपनी ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान फ्लाई ऐश की बिक्री के माध्यम से ₹ 252.12 करोड़ की निधियां प्राप्त की लेकिन इस अवधि के दौरान केवल ₹ 15.23 करोड़ का उपयोग किया। फ्लाई ऐश की बिक्री के माध्यम से एकत्रित ऐश निधि में ₹ 476.20 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही। कंपनी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इस निधि का इस्तेमाल सामान्य कारोबार में किया।

7.1.4 पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन

कंपनी के विद्युत संयंत्रों ने 2016-21 तक के सभी वर्षों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) स्तरों के संबंध में उत्सर्जन मानदंडों को पूरा किया। तथापि, विद्युत संयंत्रों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) के उत्सर्जन मानदंड पूरे नहीं किए गए हैं।

कंपनी ने अक्तूबर 2016 में राज्य सरकार की मंजूरी के बावजूद 133.20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। तथापि, कंपनी 2016-21 की अवधि के दौरान पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में केवल 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित (दिसंबर 2021) कर सकी और इस प्रकार, हरित ऊर्जा के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

सौर परियोजना से विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत वितरण कंपनियों के साथ विद्युत खरीद अनुबंध करते समय, कंपनी विचार किए गए उत्पादन के संबंध में नियमों एवं शर्तों को हटाने के लिए सहमत हुई, जिसके परिणामस्वरूप 35.05 लाख यूनिट के विचार किए गए उत्पादन के विरूद्ध ₹ 1.12 करोड़ मूल्य के राजस्व की हानि हुई है।

यदि कंपनी ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (आर.ई.) विनियमों के अनुसार 19 प्रतिशत का क्षमता उपयोग कारक प्रस्तावित किया होता, जो अधिक यथार्थवादी था, तो सौर परियोजना से बिजली की बिक्री के लिए कंपनी को ₹ 4.88 प्रति किलोवाट (21 प्रतिशत क्षमता उपयोग कारक पर) के बजाय ₹ 5.39 प्रति किलोवाट की टैरिफ दर उपलब्ध हो सकती थी। इस प्रकार, ₹ 0.51 प्रति किलोवाट घंटा कम टैरिफ के निर्धारण के परिणामस्वरूप 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए ₹ 3.36 करोड़ की हानि हुई।

7.1.5 हरियाणा राज्य के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के आधार पर बिजली की खरीद

30 थर्मल पावर प्लांटों से 7,204 मेगावाट की थर्मल पावर (मानक प्लांट लोड फैक्टर के अनुसार) की कुल अनुबंधित क्षमता के विरूद्ध हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र मेरिट ऑर्डर के आधार पर 22 थर्मल पावर प्लांटों से अधिकतम 4,378.68 मेगावाट का उपयोग कर सका और शेष आठ थर्मल पावर प्लांट बैक डाउन/शट डाउन रहे। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने दो निजी थर्मल पावर प्लांटों (एस.के.एस. पावर और एम.बी. पावर) से 208.41 मेगावाट से 391.21 मेगावाट के बीच में ₹ 4.29 प्रति यूनिट की परिवर्तनीय लागत पर अल्पकालिक थर्मल पावर खरीदी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निजी प्लांटों से ₹ 4.88 प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदने के बजाय, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यूनिट-VI जिसकी ₹ 3.90 प्रति यूनिट की परिवर्तनीय लागत कम थी, को बिजली खरीद हेतु निर्धारित माना जा सकता था। अधिकांश अंत:राज्यीय उत्पादकों (हरियाणा में स्थित हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लांट और अन्य प्लांट) को लैंडेड कॉस्ट के आधार पर मेरिट ऑर्डर डिस्पैच तैयार किए जाने के मामले में लाभांवित होने की संभावना है क्योंकि मेरिट ऑर्डर डिस्पैच में उनकी रैंक में सुधार हुआ है क्योंकि उनकी उत्पादन लागत में प्रसारण प्रभार और हानियां नहीं थीं जिनका भुगतान वितरण कंपनियों द्वारा अंतर-राज्यीय उत्पादन स्टेशनों से खरीदी गई बिजली के मामले में किया जा रहा है। लेकिन जब लैंडेड कॉस्ट के अनुसार निर्धारण किया गया तो बिजली खरीद की कुल लागत बढ़ गई। परिवर्तनीय लागत के घटकों को संशोधित करने के अलावा प्रसारण प्रभारों और हानियों को परिवर्तनीय लागत के एक घटक के रूप में शामिल करने के लिए हरियाणा में उत्पादन यूनिटों के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि हरियाणा देश के उत्तरी भाग में स्थित है और हरियाणा में स्थित हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांटों को कोयले के परिवहन पर महत्वपूर्ण लागत का भुगतान करना पड़ता है जो कि परिवर्तनीय लागत के घटक के रूप में शामिल है और मेरिट ऑर्डर डिस्पैच में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड संयंत्रों की निम्न स्थिति का प्रमुख कारण है। तथापि, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयंत्रों की प्रसारण लागत बहुत कम है क्योंकि इसके संयंत्र उपभोग केंद्रों के करीब हैं। परिवर्तनीय लागत के हिस्से के रूप में प्रसारण लागत पर विचार करके तैयार किए गए मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के अनुसार, वितरण कंपनियों को बिजली खरीद की लागत में वृद्धि होगी, तथापि, यह राज्य के उत्पादक पावर प्लांटों सहित अंत:राज्यीय पावर जेनरेटरों के लिए फायदेमंद होगा। हरियाणा विद्युत क्रय

केंद्र 2019-20 और 2020-21 के दौरान 7,204 मेगावाट क्षमता की वास्तविक उपलब्ध क्षमता के विरूद्ध अधिकतम क्रमशः 5,119 मेगावाट और 5,595 मेगावाट क्षमता का उपयोग कर सका। इस प्रकार, 2019-20 के दौरान 2,085 मेगावाट और 2020-21 के दौरान 1,609 मेगावाट क्षमता अप्रयुक्त रही। जिसके कारण, इन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन यूनिटों सहित थर्मल पावर प्लांटों की यूनिटों को लंबी अवधि के लिए बैक डाउन (गैर-परिचालित) किया गया था। 2019-21 की अवधि के लिए अप्रयुक्त क्षमता की आनुपातिक स्थायी लागत ₹ 3,030.64 करोड़ (₹ 1,757.92 करोड़ और ₹ 1,272.72 करोड़) परिकलित की गई। इसके परिणामस्वरूप बिजली खरीद की लागत में वृद्धि के कारण राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने मैसर्ज झज्जर पावर लिमिटेड के संबंध में मेरिट ऑर्डर (जनरेटर को किए गए अंतिम भुगतान के अनुसार) तैयार करते समय परिवर्तनीय लागत को कम माना, इस तथ्य के बावजूद कि जनरेटर इस कटौती की गई राशि का दावा कर रहा था और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग)/विद्युत अपील न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र दो परिवर्तनीय लागतों में से कम के आधार पर इसे मेरिट ऑर्डर में रखने के रूप में जनरेटर को लाभांवित करने की अनुमति दे रहा था।

विशाल बंसल

चंडीगढ़
दिनांक: 27 जुलाई 2022

(विशाल बंसल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 02 अगस्त 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक